

01/16 गंगा 4/4 संवत् 2017 खारा महेचान को

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नमबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.6.17	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान-न्याय आपके द्वार में अटल सेवा केन्द्र खारा महेचान में पेश हुई। अपीलण्टस अनु। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस बाद तामिल शुदा प्राप्त हुई। उतरदाता स.1 की ओर से जबाव पेश किया गया। जो शामिल मिसल हो। शेष उतरदाता बावजुद सुचना के हाजिर नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है। जिसमें पाया कि अपीलाण्टस की ओर से एक अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशंय का पेश किया गया, कि अपीलाण्टस एवं उतरदाता स.2 से 9 की पृतैक व पुश्तैनी भूमि ग्राम खारा महेचान तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 771 रकबा 14-19 बीधा व खसरा संख्या 808 रकबा 15 बिस्वा कुल रकबा 15-14 बीधा भूमि आई हुई है। विवादित भूमि अपीलाण्टस एवं उतरदाता स.2 से 9 के पुर्वज खुमा वल्द जीवा की खातेदारी की आई हुई थी। मुतवफी खुमा के फोट होने पर विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान हरचन्द,आईदान,पुनमा व जेफा उर्फ गेफा के नाम दायर किया गया। अपीलाण्टस के पिता पुनमा के देहान्त होने पर विवादित भूमि का नामान्तकरण उतरदाता स.2 से 5 के पिता व पति पांचा एवं उतरदाता स.6 व 7 के पिता व पति गोविन्दा के नाम से पारित किया गया। जबकि उक्त नामान्तकरण में उतरदाता के साथ अपीलाण्टस का भी नाम दायर किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं करते हुए अपीलाण्टस को उसके हक हकूको से महरूम रखा गया। अपीलाण्टस द्वारा विवादित भूमि में नाम दायर करवाने के लिए न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी में वादपत्र पेश किया गया। जिसका ज्ञान उतरदाता स.2 से 5 को</p>	

अपखण्ड अधिकारी, सगाधरा

होने पर उन द्वारा दौराने विचारण वाद विवादित भूमि मे अपने हिस्से 1/28 से अधिक भूमि का बेचान उतरदाता स.10 को कर दिया। और उतरदाता स.1 ने बिना मौका जांच एवं बिना अपीलान्टस को सुनते हुए एकरतफा कार्यवाही करते हुए विवादित भूमि के संबंध मे नामान्तकरण स.1015 पारित किया गया। जिसका उतरदाता स.1 को कोई विधिक अधिकार नही था। अतः उतरदाता स.1 की ओर से पारित किया गया विवादित भूमि के संबंध मे नामान्तकरण स.1015 को निरस्त करवाने हेतु यह अपील पेश की गई है।

हमने अपीलान्टस की अपील एवं सलंग्न राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात एवं विवादित नामान्तकरण स.1015 का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमे पाया कि अपीलान्टस की ओर से अपील मे मुख्य इस्तदुआ यह चाही गई, कि उतरदाता स.1 की ओर से रजिस्टर्ड बेचानपत्र के आधार पर पारित नामान्तकरण स.1015 को निरस्त किया जावे। जो अपीलान्टस की इस्तदुआ निराधार है। क्योकि ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड बेचानपत्र दिनांक 29.9.2014 के आधार पर केतागण के नाम कय की गई भूमि का नामान्तकरण स.1015 के जरिये नाम दायर किया गया। जो ग्राम पंचायत खारा महेचान द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए नामान्तकरण पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई गलती नही की गई है। एवं इस न्यायालय को रजिस्टर्ड एवं अन रजिस्टर्ड दस्तावेजो के आधार पर हुई कार्यवाही पर सुनवाई किये जाने का विधिक अधिकार नही होकर सिविल न्यायालय को है। ऐसा ही इस प्रकरण मे उतरदाता स.2 से 5 द्वारा उतरदाता स.10 के पक्ष मे रजिस्टर्ड बेचानपत्र के जरिये नामान्तकरण स.1015 पारित किया गया है। जिस पर यह न्यायालय सुनवाई नही कर सकता है। एवं अपीलान्टस ने अपनी अपील मे यह भी स्वीकार किया है, कि विवादित भूमि के संबंध मे एक राजस्व वाद खातेदारी धोषणात्मक का न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी मे पेश


अपराजित अधिकारी, सिनाधरा

किया गया। चूंकि विवादित भूमि के संबंध में यदि वाद विचाराधीन होता है, तो उसी भूमि के संबंध में अपील अलग से चल नहीं सकती है। क्योंकि अपील की कार्यवाही संक्षिप्त प्रोसेडिंग में आती है। अपील में आदेश नामान्तकरण को मध्यनजर रखते हुए किया जाता है। जबकि वादपत्र में दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों को मध्यनजर रखते हुए गम्भीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। इस प्रकार यदि विवादित भूमि के संबंध में मूल वाद विचाराधीन है, तो अपील चल नहीं सकती है। ऐसा ही इस प्रकरण में हुआ है। क्योंकि अपीलान्टस ने अपील में वाद चलने का उल्लेख किया है। और इस न्यायालय को रजिस्टर्ड बेचानपत्र के आधार पर पारित नामान्तकरण में कोई हस्तक्षेप करने का विधिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार अपीलान्टस की अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

लिहाजा अपीलान्टस की अपील सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 07/6/12 को मजमें आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


07/6/12

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी